

छत्तीसगढ़ शासन
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

शास्त्री चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001

दूरभाष (0771)-4066351, 4066352, फ़ैक्स- 4066315, ई-मेल sipb.cg@gov.in

क्रमांक / 1 / एसआईपीबी / 2015 / 07

रायपुर, दिनांक : 27/06/2015

आदेश

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 की धारा 20 के अंतर्गत बनाये गये "छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004" के नियम-3 में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नोडल एजेंसियों के द्वारा निवेशकों को प्रदाय की जाने वाली सेवाओं का विवरण "तालिका-एक" के रूप में दी गई है। तालिका-एक में उल्लेखित सेवाओं की सूची में निम्नानुसार कार्यकलापों को भी एतद् द्वारा शामिल किये जाते हैं :-

| क्रमांक | तालिका में अनुक्रमांक | कार्यकलाप | समस-सीमा |
|---------|-----------------------|---|----------|
| 1. | 21(अ) | उद्योग स्थापनार्थ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अधीन स्थापना सम्मति (Permission to establish)। | 60 दिवस |
| | 21(ब) | उद्योग स्थापनार्थ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अधीन संचालन सम्मति (Consent to operate)। | 60 दिवस |
| 2. | 22(अ) | उद्योग स्थापनार्थ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन स्थापना सम्मति (Permission to establish)। | 60 दिवस |
| | 22(ब) | उद्योग स्थापनार्थ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन संचालन सम्मति (Consent to operate)। | 60 दिवस |
| 3. | 33 | खतरनाक अपविष्ट नियम के अधीन प्राधिकृत करना। | 60 दिवस |
| 4. | 34 | दूकान एवं प्रतिष्ठान स्थापना अधिनियम के अधीन पंजीयन। | 30 दिवस |
| 5. | 35 | भवन निर्माण हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति। | 30 दिवस |
| 6. | 36 | ठेकेदारों को श्रमिक नियोजित करने हेतु अनुमति। | 30 दिवस |

उक्त के अतिरिक्त राज्य में औद्योगिक निवेश की गति को तीव्र करने हेतु निवेश प्रोत्साहन से संबंधित समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतों को भी सेवा के रूप में निवेशकों को सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु "तालिका- एक" में निम्नानुसार शामिल किये जाते हैं :-

/s/

| क्रमांक | तालिका में अनुक्रमांक | अनुक्रमांक | समय-सीमा |
|---------|-----------------------|--|----------|
| 7. | 37 (i) | पंजीयन शुल्क पर छूट | 21 दिवस |
| | 37 (ii) | भू-डायवर्सन शुल्क में छूट हेतु अनुशंसा | 21 दिवस |
| | 37 (iii) | नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट बाबत अनुशंसा | 30 दिवस |
| | 37 (iv) | प्रवेश कर भुगतान से छूट स्वीकृति | 90 दिवस |
| | 37 (v) | मंडी शुल्क छूट की स्वीकृति | 90 दिवस |
| | 37 (vi) | मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (vii) | मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (viii) | ब्याज अनुदान स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (ix) | स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति | 90 दिवस |
| | 37 (x) | परियोजना प्रतिवेदन अनुदान स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (xi) | गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (xii) | तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (xiii) | प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (xiv) | विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (xv) | इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान स्वीकृति | 30 दिवस |
| | 37 (xvi) | पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति | 90 दिवस |
| | 37 (xvii) | केन्द्रीय विक्रयकर में छूट स्वीकृति | 90 दिवस |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव सह संयोजक

टीप: स्वीकृतियों/अनुज्ञापितियों/प्रमाण-पत्र आदि के लिए विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने वाले आवेदन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क आदि को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड में प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।